



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर सामूहिक दुष्कर्म व अन्य गम्भीर धाराओं में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 19,000 /- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-180/2017 धारा-452,376डी,323,305,506 भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सद्दीक पुत्र इदरीश निवासी कैथी, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 19,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ०नि० देवेन्द्र सिंह



पैरोकार  
थाना - सुमेरपुर  
का० प्रेम सिंह